चतुर्थ अध्याय

"'हस्तक्षेप' में चित्रित आदिवासी जीवन की समस्या"

चतुर्थ अध्याय
"'हस्तक्षेप' में चित्रित आदिवासी जीवन की समस्या"

भूमिका -

आज के युग में मानव अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। मानव का जीवन ही समस्याओं का जाल बन गया है। मानव के जन्म के साथ ही समस्या का जन्म हो गया है। यह कथन आदिवासियों के लिए भी सत्य है। आदिवासियों की समस्याएँ आदिमकाल में भी होगी और वे उसका कोई-न-कोई हल खोजते होंगे। किंतु वर्तमानकाल में उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे समस्याएँ उनकी पहले की समस्याओं से बहुत भिन्न हैं और यथासंभव उनका हल भी उनकी शक्ति से परे है। प्रायः बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव ने उनकी संस्कृति और समाज के ढाँचे को किसी हद तक अस्त-व्यस्त कर दिया है। जिससे उनकी अपनी जीवन शैली कम खो गई है। आज आदिवासियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दलित, नारी, ग्रामीण जीवन, महानगरीय जीवन और आदिवासी जीवन की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन श्रवणकुमार गोस्वामी जी ने 'हस्तक्षेप' उपन्यास में आदिवासी जीवन की समस्याओं को मुख्य विषय बनाया है। आदिवासी हर प्रकार की प्रतिकूलताओं से संघर्ष करते हुए प्राकृतिक परिवेश के साथ तादात्म्य स्थापित करके निश्छल एवं स्वच्छंदी जीवन जीनेवाले आदिवासियों को आधार बनाया है। आदिवासी लोग प्राकृतिक परिवेश को अपना आश्रयस्थलं एवं कर्मस्थलं मानकर जीवनयापन करते हैं। तथाकथित आधुनिकता से दूर अपनी संस्कृति सुरक्षित रख सके हैं क्या ? इनके विकास के नाम पर आयोग बने, संगठन बने, संस्थाएँ बनी, लेकिन आज तक आदिवासियों की समस्याओं को किसी ने भी हल करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि विकास के नाम पर केवल राजनेता लोगों ने लूट ही मचायी है। आज स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद भी भारत के सामाजिक जीवन की एक बड़ी त्रासदी है- आदिवासी जीवन की समस्या। प्रस्तुत अध्याय में उनकी इन्हीं समस्याओं पर विचार किया जा रहा है।

'हस्तक्षेप' उपन्यास में आदिवासी जीवन की समस्याओं को श्रवणकुमार गोस्वामी जी ने अत्यंत वास्तविकता के साथ प्रस्तुत किया है। वह निम्नलिखित है -

4.1 लड़कियों की सुरक्षा की समस्या -

'आदिवासी महिला छात्रावास' (आमछा) में डेढ़ सौ लड़कियाँ रहती हैं। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं है। आदिवासी लड़कियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए बुलाते हैं और उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। लेकिन जब से महुआ चक्रवर्ती इस छात्रावास में अधिक्षीका बनकर आयी है तब से वह किसी भी छात्रा को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सार्वजनिक समारोह में जाने से मना करती है। वह छात्राओं की समय पर छात्रावास से बाहर जाना और समय पर वापस आने पर सख्त पाबंदी लगाती है। लेकिन यह बात वहाँ के राजनेताओं को रुचकर नहीं लगती। 'आदिवासी सांस्कृतिक क्लब' में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के लिए विधायक जी के कार्यकर्ता (छोटू तथा लंबू) लड़कियों को बुलाने आते हैं, तब महुआ उनके साथ लड़कियों को नहीं भेजती और अपना दृढ़निश्चय सुना देती है कि "इस छात्रावास की कोई भी लड़की आज से किसी भी कार्यक्रम के लिए बाहर नहीं जा सकती।"[1] तब आदिवासी लड़कियों की सुरक्षा के प्रति महुआ के मन में आत्मीयता जाग्रत होती है और वह विचार करने लगती है कि "इस छात्रावास में गरीब आदिवासी लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन-किन क्षेत्रों, गाँवों और वन प्रांतों से आती हैं। उन्हें एक भविष्य की तलाश है। उन्हें यदि उपयुक्त वातावरण नहीं मिला तो उनके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते।"[2] आदिवासी लड़कियों की आशा-आकांक्षा, इच्छाएँ अगर उन्हें सही राह का मार्गदर्शन नहीं मिल सका तो वे कुमार्ग पर जा सकती हैं। उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। महुआ को लगता है कि वह केवल छात्रावास की लड़कियों की अधीक्षिका ही नहीं है तो वह छात्रावास में रहनेवाली लड़कियों की माँ भी है। आदिवासी लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सही रास्ते पर चलना सीखाना उसी का काम है। महुआ छात्रावास की सुरक्षा की समस्या को लेकर यहाँ काफी गंभीर दिखाई देती है।

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 24
2. वही, पृ. 28

4.2 'संस्कृति' के विकास के नाम पर झूठा-प्रदर्शन -

आदिवासी कही जानेवाली जाति के विकास के नाम पर भी कई लोग अपना धंधा चलाते हैं। जैसे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चौधरी 'संस्कृति' के प्रसार के नाम पर विदेश यात्रा करते हैं और अर्थ एवं यश का उपार्जन करने का काम करते हैं। आदिवासियों के बारे में कुछ लिखकर सिर्फ छपवाते हैं और रुपए कमाते हैं। आदिवासी संस्कृति के नाम पर सिर्फ आर्थिक लूट का घिनौना खेल राजनीतिक लोग खेलते हैं। इस तरह के आदमखोर, स्वार्थी लोग हमारे आदिवासियों की संस्कृति की क्या रक्षा करेंगे ? राजनीति लोग संस्कृति के नाम पर सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने का ही काम करते हैं। महुआ करमा को पूछती है कि क्या मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आदिवासी युवतियों का नाचना अनिवार्य है ? तब करमा महुआ को कहता है कि परंपरा से यही होता आया है तब महुआ करमा को कहती है कि क्या आदिवासी संस्कृति का मतलब केवल नाचना और गाना ही है। आदिवासी संस्कृति में और कुछ भी नहीं है ? क्या आपको पता है कि एक सच्चे साहित्य प्रेमी या नृत्य प्रेमी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो वह प्रदर्शन 'कला' की कोटि में आता है। लेकिन आप जब ऐसे व्यक्ति के सामने नाच या गाना प्रस्तुत करते हैं कि वह स्वयं 'नाच' भी नहीं सकता और 'गा' भी नहीं सकता, बल्कि सत्ता एवं पैसों के बल पर किसी को भी नाचने या गाने के लिए बाध्य करता है। यही कारण है कि जब वास्तविक कला का प्रदर्शन होता है तब कला प्रेमी 'आह-वाह' नहीं करते। लेकिन जैसे ही कला को व्यापार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब लोग 'हाय मार डाला, क्या अदा है...' जैसे बोलने लगते हैं और वातावरण को बिल्कुल 'बाजारू' रूप बना देते हैं। इसी कारण महुआ करमा को बताती है कि एक ही चीज कभी कला क्यों नहीं मान ली जाती। जब वह चीज किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाती है तो वह बाजारू कैसे बन जाती है। जैसे- "लता मंगेशकर स्टुडिओ में माइक के सामने गाती है तो उसका गायन कला माना जाता है और वही गीत एक गायिका कोठे पर गाती है तो वह वेश्या मानी जाती है।"[1] इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 'संस्कृति' के नाम पर किया जानेवाला झूठे-प्रदर्शन का पर्दाफाश लेखक ने यहाँ किया है।

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तेक्षप, पृ. 74

4.3 लड़कियों का दैहिक शोषण -

'आदिवासी महिला छात्रावास' को सरकार से जो भी अनुदान की राशि मिलती है, वह अनुदान के रुपए भी समय पर 'आदिवासी महिला छात्रावास' को नहीं मिलते। इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अनुदान की राशि विमुक्त में ही आपस में बाँट लेते हैं और इन छात्राओं की सुरक्षा की बात पर राजनेता लोग ध्यान भी नहीं देते। सिर्फ छात्रावास की लड़कियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने के बहाने उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। उनसे गंदे और अनैतिक संबंध भी राजनीति लोग रखते हैं। जब महुआ को पत्रकार पूछता है कि आप पर यह भी आरोप है कि आप लड़कियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं भेजती। तब महुआ उसे कहती है- "सांस्कृतिक कार्यक्रम की परिभाषा क्या है ? क्या मंत्रियों और उनके चमचों के सामने यहाँ की आदिवासी युवतियों का नाचना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम है ? क्या आप चाहेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर इस छात्रावास की आदिवासी छात्राओं को यहाँ के होटलों में वेश्यावृत्ति करने के लिए भेजा जाए।"[1] यह सब सुनकर पत्रकार आवाक् रह जाता है और लड़कियों की दुर्दशा पर अफसोस भी प्रकट करता है। छात्रावास की ओर देखना का लोगों का नजरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। "लोग आमछा को सोनागाछी या दालमंडी समझते रहे हैं।"[2] बिरसी और महुआ के दौरान छात्रावास के बारे में बाते होती हैं तो बिरसी उसे बताती है कि यदि किसी अधिकारी या मंत्री को खुश करना है तो आमछा चले जाओ और वहाँ से किसी भी लड़की को अपने साथ ले आओ। लोग वहाँ से लड़कियों को ला-लाकर उच्चाधिकारियों या मंत्रियों के सामने पेश करते हैं। आदिवासी लड़कियों का जहाँ-तहाँ नाचने का रिवाज बन गया है। सबसे दुःख की बात यह है कि इस घिनौने कार्य में केवल गैर आदिवासी लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस इलाके के अधिकांश आदिवासी युवक, महिलाएँ, राजनेता लोग भी शामिल हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि आदिवासी लड़कियों का दैहिक शोषण किया जाता है। उसमें उच्च अधिकारियों से लेकर आदिवासी युवक महिलाओं का भी समावेश यहाँ दिखाई देता है। यहाँ आदिवासी लड़कियों की दैहिक शोषण की समस्या ने गंभीर रूप धारण किया है।

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 45
2. वही, पृ. 64

4.4 लालच दिखाकर फँसाने की समस्या -

नेताजी और रहमत अली 'आदिवासी सांस्कृतिक विकास परिषद' की स्थापना करते हैं। आदिवासियों की संस्कृति के विकास के नाम पर अपना नया व्यापार शुरू करने के लिए करमा भगत को अपने षड्यंत्रों में शामिल करने के लिए उसे पाँच हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। तब नेताजी कहते हैं कि किसी भी आदिवासी को अपने जाल में फँसाने के लिए उसे थोड़ा मदिरा या मांस का थोड़ा-सा लालच दिखाते हैं तो वह अपने जाल में सीधा फँस जाता है। जब करमा पुरस्कार की थैली लाकर बिरसी से आशीर्वाद लेता है तब बिरसी उसे सचेत करती है। लेकिन करमा उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता। जब करमा अपनी माँ को बताता है कि आज परिषद के 'पदों' का भी गठन किया है। उसमें मुझे 'मंत्री' बनाया है तो कोषाध्यक्ष रहमत अली को और स्वयं नेताजी इस परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तब बिरसी उसे कहती है कि 'आदिवासी' शब्द लगा हो उस संस्था में एक आदिवासी को एक महत्त्वपूर्ण पद पर भी रखना एक लाचारी मानी जाती है। इसलिए तुझे इस परिषद का मंत्री बनाया है। करमा और बिरसी भगत में इस बारे में थोड़ी बहस होती है और बिरसी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन करमा बताता है कि मैं नेताजी के घर खाना खाकर आया हूँ। तब बिरसी उसे व्यंग्य के साथ कहती है- "बेटा; तूने खुद देखा है कि जिस खस्सी की बलि दी जाती है, उसे पहले गुड़; चना आदि खिलाया जाता है। उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और माथे पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। खस्सी समझता है कि उसे जीवन में पहली बार गुड़ चना खाने को मिल रहा है और उसका इतना सम्मान किया जा रहा है। परंतु वह बेचारा यह नहीं जानता कि अब उसकी गर्दन ही छाँट दी जाएगी।"[1] अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तथाकथित राजनेता और बुद्धिजीवी लोग आदिवासियों को लालच दिखाकर अपने षड्यंत्र में फँसाते हैं। यहाँ लेखक ने लालच दिखाकर फँसाने की समस्या प्रस्तुत किया है।

4.5 विस्थापन की समस्या (मकान की समस्या) -

विस्थापन की समस्या का सामना आदिवासी लोगों को करना पड़ता है। विस्थापन की समस्या से उनका जीवन तहस-नहस हो जाता है। जब महुआ बिरसी को मिलने के लिए जाती

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 53

है और बिरसी भगत का घर देखकर दंग रह जाती है। महुआ को लगता है कि वह पहली बार आज एक ही जगह महानगर का वातावरण भी देखने को मिलता है और गाँव का भी वातावरण देखने को मिलता है। बातचीत के दौरान् बिरसी महुआ को बताती है कि 'हमारी 'गोंदली' अब करोड़पतियों की कॉलनी बन गई है। पहले इस बस्ती में केवल आदिवासी लोग ही रहते थे। चारों तरफ खेत-ही-खेत नजर आते थे। लेकिन सरकार ने यहाँ बाँध बनाने की परियोजना बनाई और यहाँ के लोगों का विस्थापन करना शुरू कर दिया। केवल हम लोगों की ही जमीन किसी तरह बच सकी है, क्योंकि मेरे पति कमिश्नर के यहाँ ड्रायव्हर थे। करोड़पतियों के इस मुहल्ले में हमारे जैसे गरीब भी रहते हैं। यहाँ व्यंग्यात्मक भाषा में बिरसी महुआ को मकान की समस्या के बारे में बताती हैं। महुआ बिरसी को पूछती है कि, क्या इस जमीन की कीमत एक करोड़ से कम होगी। तब बिरसी बताती है कि आदिवसियों की जमीन खरीदने पर सरकार ने रोक लगा दी है। महाश्वेता देवी कहती है कि ''1.11.1965 से ही यह क़ानून लागू हो चुका था कि आदिवासी लोग सिर्फ आदिवासियों को ही अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, दान, आय-देहन या खाइ खलासी बंधक रख सकते हैं।''[1] यदि इस जमीन की कीमत गैर-आदिवासी एक रुपया लगाता है तो आदिवासी इसकी कीमत एक पैसा लगायेंगे। क्योंकि इसको मालूम है कि आदिवासी के सिवा इसकी जमीन कोई खरीद नहीं सकता। तब महुआ कहती है कि ''क्या एक आदिवासी के द्वारा दूसरे आदिवासी का यह शोषण नहीं होगा ?''[2] आज समाज में संपन्न आदिवासी लोग ही गरीब आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। आदिवासियों का शोषण केवल बाहरी लोगों द्वारा ही नहीं हुआ बल्कि आदिवासियों के नेता कहे जानेवाले विधायकजी जैसे लोगों द्वारा भी हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार भी हड़पी हुई जमीनें आदिवासियों को वापस दिलाने का प्रयत्न कर रही है। विधायक जी विधानसभा में आदिवासियों के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए 'आदिवासी भूमि मुक्ति मोर्चा' नाम की संस्था बनाई है। इस संस्था के सहारे विधायकजी ने जो नया धंधा शुरू किया है वह खूब फल-फूल रहा है। आदिवासी का पता लगाकर 'आदिवासी भूमि-मुक्ति मोर्चा' के नाम पर एक ऐसा नाटक शुरू करते हैं कि जिससे न तो आदिवासी का भला होता है और न ही

---

1. महाश्वेता देवी - आदिवासी कथा, पृ. 64
2. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 63

उस व्यक्ति का जिसने उस आदिवासी की जमीन खरीदी थी। विधायकजी के इस षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं- आदिवासी युवक 'एतवा' और रंगपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर 'जयप्रकाश'। इस बात से पता चलता है कि प्रशासन, समाज व्यवस्था, समाज विरोधी तत्त्वों की मिलीभगत से जो आदिवासियों का कल्याण का प्रयास या विकास करना चाहता है वह पूरी तरह स्वार्थ में लिप्त होता है। इस तरह यहाँ आदिवासियों के विस्थापन की समस्या को लेखक ने प्रस्तुत करके उनका विस्थापन के कारण जीवन पूरी तरह तहस-नहस हो जाता है। उनका मानसिक एवं आर्थिक शोषण विस्थापन के नाम पर यह राजनेता, विधायक जी और गैर आदिवासी लोग भी करते हैं।

4.6 यातायात की असुविधा -

आदिवासी लोग दुर्गम जंगलों, दरियों में, उंच पहाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। आदिवासी लोग उबड़-खाबड़ घने जंगलों में इसलिए रहते हैं कि बाहरी आक्रमणों से दूर अपने को सुरक्षित रहना उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ आदिवासी लोगों का जीवन अर्थाभाव के कारण अत्यंत कष्टप्रद बन गया है। उन्हें एक वक्त की रोटी तक मयस्सर नहीं होती। 'आदिवासी सांस्कृतिक विकास परिषद' की स्थापना के बाद करमा रामडेरा गाँव जाना चाहता है। 'शंख नदी' पार रामडेरा गाँव में एक व्यक्ति के पास आदिवासी भाषा में लिखा महाकाव्य है, जिसकी पांडुलिपि दो सौ साल पुरानी है। उखड़-खाबड़ पथरीले रास्ते को पार करके वह शंख नदी के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर ठिठक जाता है। चारों ओर भयावह सन्नाटा दिखाई देता है। वहाँ आस-पास कोई आदमी या पशु तक नजर नहीं आता। शंख नदी का पानी शांत बह रहा था। लेकिन पहाड़ी नदियों की एक विशेषता होती है कि ऊपर से शांत गंभीर लगती हैं, पर उनके भीतर अंतर्धारा प्रवाहित होती रहती है, जो इस पहाड़ी नदियों की प्रकृति से परिचित नहीं होते वह अक्सर धोखा खाते हैं और कभी-कभी अपनी जान भी गवाँ बैठते हैं। करमा वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर भाव-विभोर हो जाता है और भय से काँप भी उठता है। करमा को लगता है कि "अगर यहाँ मेरी कोई हत्या कर दे तो ? मेरी लाश का भी पता नहीं लग पाएगा लोगों को !"[1] इस विचार से काँप उठता है। वह चारों ओर देखने लगता है। वह दूर-दूर तक कोई नजर नहीं आता। उस समय करमा को एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। वह

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 66

पहले डर जाता है, लेकिन वहाँ एक आदिवासी युवक आ रहा था और उन्होने वस्त्र के नाम पर केवल धोती ही पहन रखी थी। उस युवक ने ही करमा को पूछा की उस पार जाएगा। आदिवासी युवक कंधे पर साइकिल लाद देता है और करमा को पीछे से आने के लिए कहकर नदी पार करने के लिए उसमें उतर जाता है। आदिवासी युवक अभ्यस्त होने के कारण वह धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। डर, संभलकर करमा भी उसके पीछे चलने लगा था। जब दोनों की कमर तक पानी आ गया तब करमा घबराने लगा। करमा को पानी में चलने की असुविधा हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जैसे ही पैर नदी के अंतर्धारा में रखेगा वह नदी में डूब ही जाएगा, और उसका शरीर नदी की तेज धारा में बहने ही लग जाएगा। इस भयावह कसरत से करमा को पसीना आ गया था। देखते-ही-देखते आदिवासी युवक उस पार पहुँच गया था। उस आदिवासी युवक ने करमा को नदी पार करवा के किनारे पहुँचाया और आदिवासी युवक जाने लगा। तब करमा उसे पाँच रुपए की नोट देना चाहता है। लेकिन वह लेने से इन्कार कर देता है। यहाँ आदिवासियों की मदद करने की स्वच्छंदी प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन आज भी कई जगह पर आदिवासी रहते हैं वहाँ यातायात की असुविधा दिखाई देती है।

4.7 बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों का शोषण -

आदिवासियों का शोषण सदियों से अनेक रूपों में निरंतर होता रहा है। जिसके भोले-भाले निश्छल आदिवासी लोग शिकार बनते जा रहे हैं। आदिवासियों का शोषण, नेताजी, रहमतअली जैसे अनेक गैर आदिवासी लोगों ने भी अपना स्वार्थ साधने के लिए उनका शोषण ही किया है। विकास, संस्कृति और कल्याण के नाम पर ऐसी कई तरह से सरकार से अनुदान प्राप्त करना और वह बीच में ही हड़पना यह नीति लोग सदियों से करते आ रहे हैं। आदिवासियों की जमीन का काफी बड़ा हिस्सा गैर आदिवासी लोगों ने उन्हें केवल एक शराब की बोतल देकर या, डरा धमकाकर या एक-दो रुपए देकर काफी सस्ते में उनकी जमीनें खरीदकर उन्होने हस्तांतरित की है। पहले गगनांचल में अधिकांश जमीनों पर आदिवासियों का ही अधिकार था। लेकिन जब यहाँ बाहरी लोगों का आना-जाना बढ़ गया, तो उन लोगों ने आदिवासियों की जमीनें कवड़ी के मोल में खरीद कर अपने नाम करवा ली है। चालाक और धूर्त लोगों ने आदिवासियों की जमीनें हड़पना शुरू कर दिया। इसमें बाहरी लोगों ने आदिवासियों को सौ-दो-सौ रुपए देकर बड़ी-सी जमीन

अपने नाम लिखवा लिया है। कभी-कभी तो आदिवासी लोगों को पीने के लिए शराब की एक बोतल या हंडियाँ देकर ही उन लोगों का बड़ा-सा भूखंड उनसे ले लिया है। इस तरह बाहरी लोगों ने आदिवासियों को किसी वस्तु का या पैसों का लालच दिखाकर उनका शोषण किया है। लेखक ने यहाँ बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासियों का शोषण करने की समस्या को प्रस्तुत किया है।

4.8 व्यसनाधीनता की समस्या -

आदिवासियों में व्यसनाधीनता एक बड़ी समस्या बन गई है। नशा-पान करना आदिवासी लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं। हर आदिवासी अपने को शराब हँडियाँ, मांस का खाना अच्छा मानते हैं। लेकिन वह उनकी गलत धारणा है। आदिवासियों के व्यसनाधीनता का फायदा राजनीति लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रयोग करते रहे हैं। राजनेता लोग अपना काम करवाने के लिए उनकी नब्ज शराब देकर उसका फायदा उठाते हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा शत्रू है- शराब, हँड़ियाँ होड़ोंग, चाहे इसे किसी भी नाम से भी पुकार लो। यह नशाखोरी ही उनकी तबाही का प्रमुख कारण माना जाता है। मगर आदिवासी लोग परंपरा के नाम पर नशा करना नहीं छोड़ते। यहाँ लेखक ने बताया है कि ''यह शराब उनसे जमीन छीन लेती है... उनकी बहू-बेटी छीन लेती है... उनसे उनकी मातृभूमि छुड़वा देती है... उनकी हर दुर्दशा के केंद्र में यह मदिरा ही होती है....।''[1] इस से महुआ आदिवासियों के व्यसनाधीनता का विरोध करती है और कहती है कि मदिरा छोड़े बिना आदिवासियों का विकास कभी नहीं होगा और वह आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। उन्हें यदि युग के अनुरूप अपने आप को बदलना है तो उन्हें इस व्यसनाधीनता को छोड़ना अनिवार्य है। यहाँ आदिवासियों की व्यसनाधीनता की समस्या को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।

4.9 रूढ़ि परंपरा और अंधश्रद्धा से ग्रस्त आदिवासी लोग -

आदिवासी लोग रूढ़ि परंपरा और अंधश्रद्धा को अधिक मानते हैं। आदिवासियों का कहना है कि एकाध व्यक्ति रूढ़ि और परंपरा का उल्लंघन करता है तो उसे देवी का कोप सहना पड़ता है। ऐसी गलत धारणाएँ आदिवासियों के मन में जखड़ गई हैं। आदिवासी परंपरा के अनुसार शराब पीना, नाचना-गाना उत्सव-पर्व एवं त्यौहार मनाना, मांस खाना, जंगली पशुओं की

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 146

शिकार करना अनिवार्य मानते हैं। लेकिन आज राजनेता लोग आदिवासियों का लुत्फ उठाते हैं। आदिवासियों की संस्कृति के नाम पर राजनेता लोग आदिवासी लड़कियों का भोग सदियों से करते आ रहे हैं। इसलिए आदिवासियों में चेतना निर्माण करना अनिवार्य बात बन जाती है। आदिवासियों परिवर्तन लाना जरूरी है। समय के अनुरूप अपने आप को बदल कर उनका विकास करना चाहिए। परंपरा और रूढ़ियों का निर्वाह कर समय की माँग क्या है, इसका आदिवासियों को विचार करना जरूरी है। धार्मिक अंधविश्वास को, परंपरा को किस सीमा तक स्वीकार करना चाहिए, इसकी ओर भी ध्यान आदिवासियों को ध्यान देना जरूरी है। जब आदिवासी परंपराओं को अपने लिए पूर्णतः अनिवार्य मानकर बैठता है तब वह रूढ़िवादी बन जाता है। "परंपरा के नाम पर यदि आदिवासी अपने को युग के अनुरूप नहीं ढालेंगे, तो उनका शोषण कभी भी बंद नहीं हो पाएगा। वे केवल दूसरों के इशारे पर नाचते ही रहेंगे। नाचनेवाले इतिहास नहीं बनाते, इतिहास में तो उन्हें जगह मिलती है जो दूसरों को नचाना जानते हैं।"[1] इस बात से स्पष्ट होता है कि आदिवासी लोग परंपरा का निर्वाह करके अंधश्रद्धालू बन गए हैं। वह धार्मिक विधि-निषेधों का पालन करना अनिवार्य मानते हैं। चाहे उससे उनका नुकसान भी हो वह परंपरा का पालन करना महत्त्वपूर्ण मानते हैं, इससे आदिवासियों के जीवन में अंधश्रद्धा से ग्रस्त आदिवासी लोगों की समस्या बन चुकी है, जिससे उनके जीवन के विकास में रोड़ा बन चुकी हैं। आदिवासियों में रूढ़ि-परंपरा और अंधश्रद्धा से ग्रस्त, धार्मिक अंधविश्वास की समस्या बढ़ती ही जा रही है।

4.10 अज्ञान या पिछड़ेपन की समस्या -

आज भारत स्वतंत्र होकर कितने दिन हो गए हैं। लेकिन आज भी आदिवासियों के पिछड़ेपन की समस्या प्रखरता से समाज में दिखाई देती है। विज्ञान ने कितनी तरह की सुविधाओं का शोध लगाया है, तंत्रज्ञान विकसित किया है, लेकिन आज भी आदिवासी लोग पिछड़े इलाके या जंगल में रहते हैं। उन आदिवासी लोगों तक इस सुविधाओं का कोई भी लाभ नहीं पहुँचा है। लेकिन सरकार सिर्फ आदिवासी लोगों की समस्या सुलझाने के लिए विविध आयोग, संस्था, संगठन या परिषद बनाती है। उनके नाम पर अनुदान भेजती है, लेकिन यह अनुदान आदिवासियों तक नहीं पहुँचकर वहाँ के राजनेता लोग एवं उच्च अधिकारी लोगों की मिलीभगत से आपस में ही

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 145

बाँट लेते हैं और आदिवासियों तक एक कवड़ी भी नहीं पहुँच पाती। बुद्धिजीवी और राजनेता लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए इस भोले-भाले निश्चल आदिवासियों के अज्ञान का फायदा उठाकर अपनी तिजोरियाँ भरने का कार्य करते हैं। आज तक आदिवासियों तक कोई अनुदान या सुविधा पहुँची है। यहाँ राजनेता लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इन लोगों की समस्याओं को लेकर सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं। वास्तव में आदिवासी लोगों तक विकास की कोई सुविधा नहीं पहुँच सकती है। जैसे की रंगपुर में अधिकांश मकान गैर आदिवासी लोगों ने उनके अज्ञान का फायदा उठाकर आदिवासियों की जमीन पर मकान बने हैं। सरकारी कानून के अनुसार यदि कोई आदिवासी चाहे तो मुकदमा लड़कर जमीन वापस ले सकता है। लेकिन आदिवासी लोग निर्धन होने के कारण इसकी पहल भी नहीं करते। लेकिन प्रायः इस तरह कोई आदिवासी अपनी इच्छा से नहीं करता। सच तो यह है कि अधिकांश आदिवासी आज भी पहले की तरह निश्चछ एवं सीधा-साधा जीवनयापन करता रहा है। "जब तक उन्हें कोई बहकाता नहीं या किसी काम के लिए प्रेरित नहीं करता, वे स्वयं अपनी इच्छा से कोई कदम उठाना कभी पसंद नहीं करते।"[1] इस बात से स्पष्ट होता है कि आदिवासियों का अज्ञान का फायदा तथाकथित राजनेता लोग उठाते हैं। पिछड़ेपन की समस्या के कारण उनका किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाता है। यह उनके अज्ञानवश एवं पिछड़ेपन की समस्या के कारण होता रहा है।

4.11 बलात्कार से पीड़ित आदिवासी युवतियाँ -

आदिवासियों में बलात्कार से पीड़ित युवतियों की समस्या ने विकट रूप धारण किया है। बलात्कार शब्द दोधारी तलवार की तरह होता है। उसके वार से पुरुष तो प्रभावित नहीं होता मगर नारी दो टुकड़ों में ऐसी कटती है कि उसे न तो समाज स्वीकारना चाहता है और न उसके घर, परिवारवाले। इससे पीड़ित नारी का पहला तो शारीरिक शोषण होता है और फिर आर्थिक शोषण होता है। पुलिस या डॉ. सीमा जैसे लोगों का शिकार आदिवासी युवतियों को होना पड़ता है। यदि इन बाधाओं को पार कर नारी आगे बढ़ना चाहती है तो उसकी मुठभेड़ न्यायालय में एक ऐसे भेड़िए से होती है जो अपनी भाषा के तीखें नाखूनों और पैने दाँतों से उसके जिस्म के टुकड़े-टुकड़े कर डालने की कोशिश करता है। यहाँ न्यायालय की कुर्सी पर धृतराष्ट्र जैसा अंधा बैठा होता

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 78

है। कठघरे में द्रौपदी और प्रतिवादी के वकील के रूप में दुःशासन खड़ा दिखाई देता है। वह दोनों हाथों से द्रौपदी को निर्वस्त्र ही नहीं करता बल्कि भाषा रूपी दुधारी तलवार का प्रयोग भी करता है। यहाँ लेखक ने महाभारत के प्रसंग के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करने का प्रयास किया है। ''बलात्कारी तो केवल शरीर से खेलता है लेकिन यह दुःशासन बलात्कार की शिकार युवती के साथ घंटों खेलता है।''[1] दुःशासन जैसे लोग आज भी समाज में दिखाई देते हैं। दुःशासन नाम का प्राणी अपनी कुत्सित भाषा के सहारे द्रौपदी के शरीर के एक-एक अंग पर अपनी कुदृष्टि डालता है और उसकी सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करता है। उस दृश्य से बीभत्स और कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह द्रौपदी की लाज भरी सभा में लूटी जाती है। दुःशासन अपनी अश्लील प्रश्नों से द्रौपदी की आत्मा को छलनी कर देता है। लेखक की दृष्टि में यह विचित्र स्थिति है। जैसे कि ''इस समाज के हवन कुंड में केवल नारी के हाथ ही क्यों जलते हैं यज्ञ करते हुए ?''[2] यहाँ लेखक यह प्रस्तुत करता है कि विशेषकर आदिवासी युवतियों का बलात्कार शिकार बनने का अधिक प्रमाण यहाँ दिखाई देता है और वह कोई शिकायत करने आगे बढ़ती है तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक, मानसिक एवं पीड़ादायक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ी समस्या आदिवासी युवतियों के सामने खड़ी है। वह न्याय पाने के लिए सामने नहीं आती, क्योंकि वे पुलिस, डॉक्टर, वकील और कचहरी की चक्की में पीसना नहीं चाहती। इस संदर्भ में लेखक ने संचार माध्यमों की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है। बलात्कार जैसी जघन्य घटना भी समाचार पत्रों के लिए आय का साधन बन गई है। यह एक बड़ी समस्या का सामना आदिवासी युवतियों को करना पड़ता है। बलात्कार की शिकार बनी युवती का जीवन जीना दुष्कर हो जाता है। डॉ. महुआ के माध्यम से लेखक ने बलात्कार से पीड़ित युवतियों की व्यथा प्रस्तुत की है।

4.12 शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या -

आज शिक्षा क्षेत्र भी अपवित्र हो गया है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में बुद्धिजीवी लोग रुपए लेकर थीसिस लिखते हैं और लोगों को गारण्टी के साथ डॉक्टर भी बनाने के कार्य करनेवाले बहुत हैं। जब अवकाश के बाद महुआ अपना कार्यभार सँभालने के लिए विभाग में

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 261
2. वही, पृ. 262

आती है तो विभाग के सहकर्मी उसे निकालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उस विभाग के सहकर्मी अपने बड़े-बड़े वक्तव्य के साथ उसे इस विभाग से निकालने की साजिश करते हैं। लेकिन डॉ. नजमा जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सिद्धांतवादी और संवेदनशील भी लोग हैं। डॉ. नजमा इन सब बातों का विरोध करती है। वह कहती है कि "जब इसी विभाग का कोई शिक्षक शराब पीकर नाली में अचेत पड़ा मिलता है तब इस विभाग की गरिमा खंडित नहीं होती है। जब इसी विभाग का कोई शिक्षक दस हजार रुपए लेकर थीसिस लिखता है तब इस विभाग की गरिमा को चार चाँद लग जाते हैं। जब इस विभाग का शिक्षक चरित्रहीनता के आरोप में कहीं पिट जाता है तब ये विभाग पूरे शहर में गौरवान्वित हो उठता है। जब इसी विभाग का शिक्षक रुपए लेकर नंबर बढ़ाने के आरोप में निलंबित कर दिया जाता है तब विभाग में अनुशासन और चरित्र की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती।"[1] यहाँ डॉ. नजमा के द्वारा लेखक ने प्रस्थापित शिक्षा व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। वह आगे बताती है कि जिस महिला ने अपनी छात्राओं की इज्जत बचाने के लिए स्वयं आग में कूदकर साहसी और आदर्श दिखाया है। आप उस महिला की प्रशंसा न कर आप चरित्र, अनुशासन, गरिमा, शील आदि अनेक काल्पनिक संकटों का हौआ खड़ा कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप सब लोग धूर्त और कापुरुष हैं। डॉ. सरोज एक औरत होकर भी औरत का दुःख समझ नहीं पाती इसका नजमा को ताज्जुब होता है। "डॉ. महुआ ने तो यह दिखा दिया है कि चरित्र केवल उसके पास ही है। छिप-छिपकर जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरों की अंकशायिनी बनती है और अपने को सती-साध्वी बताती है; वैसी औरतों को सच्चरित्र कभी नहीं माना जा सकता।"[2] डॉ. सीमा जैसे लोग स्वार्थपूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती हैं। बुद्धिजीवी लोगों की विवेकहीनता का विरोध भी यहाँ दर्शाया गया है। साथ-ही-साथ शिक्षा प्रणाली में किस तरह अंधाधुंदी का व्यापार चलता है। शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त घूसखोरी की समस्या को लेखक ने यहाँ उजागर किया है।

4.13 निर्धनता की समस्या -

आदिवासियों के जीवन में निर्धनता की समस्या ने बड़ा विकट रूप धारण किया है। निर्धनता के कारण आदिवासी को थोड़ा-सा लालच दिखाकर तथाकथित लोग उनसे अपना काम

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 2000
2. वही, पृ. 201

निकालने का प्रयास करते हैं। लेखक ने रिक्षावालों के संवादों की बात से निर्धनता की समस्या को बताने का प्रयास किया है। साथ-ही-साथ एतवा नामक आदिवासी युवक विधायकजी के षड्यंत्र का शिकार निर्धनता के कारण ही बन जाता है। विधायक जी एतवा के निर्धनता का फायदा उठाकर डॉ. जयप्रकाश पर मुकदमा दायर करते हैं। एतवा को पता ही नहीं चलता कि विधायक जी उसकी निर्धनता का फायदा उठाना चाहते हैं। एतवा अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए कुली का काम करता है। बाजार में कुली से जो आय उसे मिलती है उस पर ही उसके परिवार का जीविकोपार्जन चलाता है। विधायक जी एतवा के अज्ञान का फायदा उठाकर इंक पैड पर एतवा का अँगूठे का निशाना कागज पर उठा लेते हैं तब एतवा उन्हें पूछता है कि हमारी जमीन हमको कब मिलेगी तब विधायक जी कहते हैं कि जल्दी ही मिलेगी। एतवा दिनभर विधायक जी के पास ही होने के कारण उसने आज कोई भी काम नहीं किया था। उसे रात्रि के भोजन की चिंता सता रही थी। तब एतवा विधायकजी को कहता है कि "मालिक, आज तो हम इधिर आ गया से वास्ते काम करने नइ जा सका। कुछ लेके नइ जाएगा तो घर में हँड़ियाँ भी नइ चढ़ेगा।"[1] इस बात से पता चलता है कि आदिवासियों के जीवन में निर्धनता की समस्या से पीड़ित दिखाई देते हैं। बल्कि अभावग्रस्त, शोषित, दमित, उत्पीड़नों के कारण भी आदिवासियों में निर्धनता की समस्या दिखाई देती है। तथाकथित राजनेता लोगों ने ही नहीं तो बुद्धिजीवी लोगों ने भी आदिवासियों की निर्धनता का नाजायज फायदा उठाया है। आदिवासियों के जीवन में निर्धनता यह एक बड़ी समस्या बन गई है। एतवा के माध्यम से इस समस्या को लेखक ने यहाँ चित्रित किया है।

निष्कर्ष -

आदिवासियों का जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। उनके जीवन में अभावग्रस्तता, निर्धनता, दैहिक शोषण, लालच दिखाकर आदिवासियों को फँसाने की समस्या, अज्ञान या पिछड़ेपन की समस्या, शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या, बलात्कार से पीड़ित आदिवासी युवतियों की समस्या, बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों का शोषण आदि अनेक आदिवासी जीवन की समस्याओं लेखक ने यहाँ चित्रित किया है।

---

1. श्रवणकुमार गोस्वामी - हस्तक्षेप, पृ. 80

'हस्तक्षेप' उपन्यास में गोस्वामी जी आदिवासी जीवन को एक नए दृष्टिकोण से उभारने का सफल प्रयास किया है। राजनेता लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी कहनेवाले लोगों ने भी अपने स्वार्थ के लिए आदिवासियों का आर्थिक, भावात्मक, शारीरिक शोषण किया है। बल्कि विकास, कल्याण, संस्कृति एवं सेवा आदि के नाम पर संस्था का गठन कर आदिवासियों का शोषण किया है। इसमें सिर्फ गैर-आदिवासी ही नहीं, बल्कि आदिवासियों के नेता कहे जानेवाले लोगों ने भी शोषण कर अपना रोब आदिवासियों पर जमाया है। आदिवासियों की लड़कियों को सिर्फ संस्कृति के नाम पर उपभोग की वस्तु बनाया है। आज भी यातायात की असुविधा का सामना आदिवासी लोगों को करना पड़ता है। आदिवासियों के विकास के नाम पर बुद्धिजीवी लोगों ने, राजनेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विकास न कर सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने का कार्य किया है और अपने को माला-माल ही कर दिया है। यह एक बड़ी त्रासदी आदिवासी जीवन की बन गई है। इसका यथार्थ चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में पहली बार किया है।